न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, पाली
पीठासीन अधिकारी : श्री चन्द्रभान सिंह भाटी, आर.ए.एस.

विविध प्रकरण संख्या : 07/2019
GCMS No. : 2019/00018

प्रार्थी:–	बनाम	अप्रार्थीगण :–
दिलीपसिंह यादव, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, पाली		1. मदन लाल पुत्र मोहन लाल जैन, मैसर्स–महावीर ट्रेडर्स, 2–जी–8, पुराना हाउसिंग बोर्ड पाली 2. लोकेश खण्डेलवाल पुत्र मोहन जी खण्डेलवाल (प्रोप.) मैसर्स– श्री श्याम फुड प्रोडेक्ट, तबीजी बाईपास, ब्यावर रोड़ अजमेर

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 26 (2) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006

उपस्थित :–

1. स्वयं
2. अप्रार्थीगण की ओर से अधिवक्ता श्री महेन्द्र व्यास

–: निर्णय :–

दिनांक - 2/3/2021

प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 26 (2) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत अप्रार्थीगण के विरूद्ध प्रस्तुत किया। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। बहस खाद्य सुरक्षा अधिकारी एवं अधिवक्ता अप्रार्थीगण सुनी गई।

प्रार्थी ने वक्त बहस कथन किया कि प्रार्थी वर्तमान में खाद्य सुरक्षा अधिकारी के पद पर कार्यालय कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी में पदस्थापित है। दिनांक 06.02.2018 को दौराने गश्त अप्रार्थी संख्या 1 की फर्म मैसर्स महावीर ट्रेडर्स, 2–जी–8, पुराना हाउसिंग बोर्ड, पाली पर गए। फर्म पर अप्रार्थी संख्या 1 उपस्थित मिला तथा वहां पर घी (डेयरी शक्ति ब्राण्ड) ब्रिकी करते हुए पाया, वहां पर लगभग 50 पैकेट घी के रखे हुए थे, जिनमें प्रत्येक में 500 एमएल घी है, जो आमजन को बिक्री हेतु रखे हुए थे, जिसमें मिलावट का शक हुआ, तब मौके पर प्रपत्र 5 ए भरकर रूबरू गवाहान व विक्रेता के हस्ताक्षर तैयार किया गया। उक्त घी में से 4 मूल घी (डेयरी शक्ति ब्राण्ड) वास्ते जांच हेतु क्रय कर, उक्त क्रयसुदा घी (डेयरी शक्ति ब्राण्ड) को चार भागों में विभक्त कर लेबल तैयार कर कोड व सिरियल नम्बर आर–740 अंकित किया एवं नमूना का विवरण अंकित कर मौका फर्द तैयार की गई, जिस पर अप्रार्थी संख्या 1 के हस्ताक्षर है। उक्त सीलबन्द लिफाफा खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला जोधपुर भिजवाया गया। खाद्य विश्लेषक द्वारा प्रेषित जांच प्रतिवेदन में प्रार्थी द्वारा लिया गया घी (डेयरी शक्ति ब्राण्ड) को Sub Standrad does not conform and Mis Branded पाया गया। इस प्रकार अप्रार्थीगण द्वारा Sub Standrad does not conform and Mis Branded घी (डेयरी शक्ति ब्राण्ड) का विनिर्माण एवं

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
पाली

विक्रय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(2) का उल्लंघन किया है, जिसके लिये अप्रार्थीगण दोषी है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे एवं अप्रार्थी पर भारी से भारी जुर्माना अधिरोपित किया जावे।

अधिवक्ता अप्रार्थीगण ने वक्त बहस कथन किया कि खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला, जोधुपर से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार प्रोडक्ट के पत्ते में मामूली अन्तर है, जिसके आधार पर प्रोडक्ट को मिसब्राण्ड बनाया गया, साथ ही सब–स्टेण्डर्ड भी निर्धारित मानक से बहूत ही कम अन्तर होने पर बनाया गया है। इस कारण अप्रार्थीगण की ओर से निवेदन है कि वे भविष्य में पुनरावृति नहीं करेंगे तथा कम से कम जुर्माना अधिरोपित कराने का आदेश प्रदान करावें।

हमने प्रार्थी एवं अधिवक्ता अप्रार्थीगण की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया गया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 06.02.2018 को दौराने गस्त अप्रार्थी संख्या 1 की फर्म पर गया तो, वहां पर मदनलाल पुत्र मोहनलाल (विक्रेता) उपस्थित मिला। प्रार्थी ने विक्रेता एवं गवाहान की उपस्थिति में प्रपत्र 5–ए भरकर दिया तथा इनकी उपस्थिति में अप्रार्थी संख्या 1 की फर्म से मौका फर्द अनुसार प्रार्थी द्वारा दिनांक 06.02.2018 को अप्रार्थी की फर्म में बेचाण हेतु रखे हुए घी (डेयरी शक्ति ब्राण्ड) के चार पैकेट को क्रय कर नियमानुसार नमूना कोड एवं क्रम संख्या आर–740 अंकित कर सीलबन्द किया गया तथा नियमानुसार प्रक्रिया अपनाते हुए जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला जोधपुर भिजवाया गया। खाद्य विश्लेषक की रिपोर्ट क्रमांक/एल.एस./83/एक्ट/2018/99 दिनांक 14.02.2018 के अनुसार उक्त नमूना कोड संख्या आर–740 को "The sample of Ghee (Dairy Shakti brand) bearing Code No. and Sr. No. R-740 of Designated Officer cum Chief Medical & Health Officer, Pali is Sub-standard as it does not conform to the prescribed standards and provisions of Food Safty and Standards (Food Products Standards and Food Additives) Regulations, 2011 and Misbranded under section 3(1)(zf)(C) (i) of Food Safety and Standards Act-2006." का माना है। इस संबंध में मुख्य चिकित्सा अधिकारी एवं स्वास्थ्य अधिकारी, पाली ने जरिये पत्रांक एफ.एस.एस.ए./2018/3118–19 के द्वारा विक्रेता को प्राप्त रिपोर्ट प्रेषित कर, पुनः जॉच निर्दिष्ट खाद्य प्रयोगशाला से निर्धारित समयावधि कराने हेतु पत्र प्रेषित किया गया, जो उसके द्वारा नहीं करवांए जाने से उसके विरूद्ध प्रकरण न्यायालय में पेश किया गया। अप्रार्थी द्वारा घी (डेयरी शक्ति ब्राण्ड) जो जॉच में Sub-Standard & Mis-branded पाये गये है। इससे स्पष्ट है कि अप्रार्थीगण द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अध्याय 6 के नियम 26 (2) का उल्लंघन किया गया है, जो इसी अधिनियम के अध्याय 9 की धारा 51 एवं 52 के अन्तर्गत शास्ति योग्य है।

परिणाम स्वरूप प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 26 (2) (2) के तहत स्वीकार किया जाता है तथा अप्रार्थीगण द्वारा Sub Standrad does not conform and Mis Branded खाद्य वस्तु घी (डेयरी शक्ति ब्राण्ड) का निर्माण एवं विक्रय करने के कारण इसी अधिनियम की धारा 51 व 52 के तहत अप्रार्थी संख्या 1 पर 25,000/– अक्षरे पच्चीस हजार रूपये मात्र, अप्रार्थी संख्या 2 पर 2,00,000/– अक्षरे दो लाख रूपये मात्र कुल 2,25,000/– अक्षरे दो लाख पच्चीस हजार रूपये मात्र की शास्ति आरोपित की जाती है, साथ ही अप्रार्थीगण को निर्देश दिये जाते है कि वे उक्त राशि राज्य सरकार द्वारा निर्धारित

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
पाली

मद "0210–चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य, 04–लोक स्वास्थ्य, 800 अन्य प्राप्तियां, (03) खाद्य सुरक्षा कानून के अन्तर्गत अनुज्ञापत्र शुल्क आदि" में जमा करवा कर चालान की प्रति इस न्यायालय में प्रस्तुत करें। इस निर्णय की प्रतिलिपि अप्रार्थीगण एवं प्रार्थी को वास्ते पालनार्थ भिजवाई जावे। बाद पालना पत्रावली फैसल में शुमार होकर नम्बर से कम हो।

(चन्द्रभान सिंह भाटी)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, पाली

निर्णय आज दिनांक 2/3/21 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(चन्द्रभान सिंह भाटी)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, पाली